न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 166/2020
GCMS NO. : 2020/00309

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादीगण:

1. धर्माराम पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी फालका तहसील जैतारण जिला पाली।

प्रतिवादीगण:

1. देदाराम पुत्र बक्साराम
2. चन्द्राराम पुत्र पुनाराम
3. कैलाश पुत्र पूनाराम
4. गोरा देवी पत्नी पूनाराम जातियान जाट निवासीगण फालका तहसील जैतारण।
5. राजेश पुत्र दोलतचंद
6. ललितकुमार पुत्र दोलतचंद
7. रेखा पुत्री दोलतचंद
8. सपना पुत्री दोलतचंद
9. खुशबु पुत्री दोलतचंद
10. सुशिला देवी पत्नी दोलतचंद जातियान जैन निवासीगण आ.कालू तहसील जैतारण जिला पाली।
11. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:–03.12.2020**

उपस्थित:–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण। **दिनॉक:–28/06/2022**

–:: निर्णय ::

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ.कालू, तहसील जैतारण जिला पाली राज मे सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 1209 रकबा 21–01 बीघा किस्म सेवज दोयम आयी हुई है तथा सायल एवं गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड दर्ज हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी ज[illegible] संवत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिंसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डंस् के कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

था उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन गैरसायलान् सायल के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं सायल की खन्दक/ मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं सायल की बोई हुई फसल को नुकसान कारित करते है तथा सायल को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओं का समना करना पड़ता है इसलिए सायल ने गैरसायलान् को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 01/11/2020 को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं गैरसायलान् जो कि संख्या व शक्ति एवं धनबल वाले है जिन्होंने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देंगे एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश धर्माराम उपरोक्त कृषिभूमि का सायल खातेदार काश्तकार होने से एवं सायल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है। तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है। यदि गैरसायल अपने नापाक मंसुबो में सफल हो जाते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग [illegible] से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि का कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये बिना ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देते है एवं सायल को उसके कब्जे से बेदखल कर देते है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 की ओर से वकील ओमप्रकाश पंचारिया ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया सरहद मौजा फालका में खसरा नम्बर 1209 रकबा 21-01 बीघा अर्थात 03.4074 हैक्टर भूमि पक्षकारान् के जमाबन्दी में सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं परन्तु उक्त भूमि खातेदारान् के बीच पिछले 18 वर्षो से बंटी हुई होकर जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। बाद में वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान् के सामलती खातेदारी भूमि हैं यह सही हैं कि राजस्व रेकर्ड व ट्रेस नक्शे में बंटवाडा नहीं हैं परन्तु मौके पर बंटवाडा होकर उसीनुरूप काबिज होकर काश्त करते हैं। सायल के हिस्से में आई भूमि में उतरदाता गैरसायलान ने सीमा को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया न हीं कभी माठ/खन्दक को खुर्द-बुर्द कर बोई फसल को नुकसान किया न हीं उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने को आमदा होने की धमकी दी। सही तथ्य यह है कि उतरदाता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार सायल की भूमि को हरे रंग से गैरसायलान संख्या 1 की भूमि को लाल रंग से जिसमें उसके रहवासी मकान बने हुए है, 2 से 4 की भूमि को आसमानी रंग से जिसमें रहवासी मकान बने हुए हैं व गैरसायलान संख्या 5 से 10 की भूमि को पीले रंग से दर्शाया हैं तथा उत्तरदाता गैरसायलान के बंट में आई कृषि भूमि के चारो और पक्की दीवार बनी हुई हैं व लोहे की फाटक लगा रखी हैं तथा खेत में ट्यूबवेल हैं जिस पर गैरसायलान संख्या 5 से 10 के पिता व पति दौलतचन्द के नाम का विद्युत कनेक्शन हैं जिससे अपने खेत में बोई फसल की पिलाई कर उपयोग उपभोग करते हैं तथा उसमें एक छोटा पक्का कमरा भी बना हुआ हैं जिसमें कृषि उपकरण व अनाज रखते हैं तथा उतरदाता गैरसायलान द्वारा बतायेनुसार उक्त कृषि भूमि का मौके पर पिछले 18 वर्षो से बंटवाडा हो रखा हैं। सायल अपने हक हिस्से बंटवाडे की भूमि में काश्त करे कृषि से अकृषि कार्य में रूपान्तरण करावें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठावे उसमें उतरदाता गैरसायलान ने कभी आपति नहीं की न हीं उन्हें कोई सरोकार हैं सायल [illegible] की भूमि पर आई.सी.आई. सी.आई. बैंक शाखा जैतारण लोन भी [illegible] रखा [illegible] ने गैरसायलान को मौके पर हिस्सेनुसार बंटी होने के आधार पर बंटवाडा [illegible] दिनांक 01.11.2020 को व अन्य किसी दिनांक को नहीं कहा। सायल के गैरसायलान के उक्त भूमि के बंट्वाडा करवाये बिना अजनबी क्रेता को बैचान हस्तान्तरण करने व बेदखली करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ो धमकी नहीं दी। सायल के पास जमाबन्दी में जितना हिस्सा आता हैं उतनी ूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं तो वह अपने अधिकारों से वंचित नहीं ो रहा हैं व न हीं अपूर्णीय क्षति हो रही हैं। उक्त तमाम कथन वाद करने की ार्ज से गलत झूठे मनमाने अंकित किये हैं। इसलिये सायल उतरदाता गैरसायलान के विरूद्ध बंटवाडा व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं हैं जबकि उतरदाता गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में बताये रंगोनुसार बंटवाडा करवाना चाहे तो सहमत हैं। सायल को कानूनी/मौके पर उतरदाता गैरसायलान द्वारा बताये नजरी नक्शेनुसार बंटवाडा करवाना चाहे तो सहमत सायल अपने हक हिस्से बंट की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं तो उसे कोई असीम हानि भी नहीं हो रही हैं इसलिए सायल अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सायल के साथ उतरदाता गैरसायलान भी खातेदार हैं तथा माफिक हक हिस्सेनुसार बंटवाडा होकर खातेदारान् का कब्जा काश्त तो फिर सायल के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला है न सुविधा का संतुलन हैं। इसलिए सायल को कोई असीम हानि भी नहीं हो रही हैं। सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक पक्ष में नहीं होने से सायल, उतरदाता गैर सायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं हैं। एक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को आवश्यकता होने पर अन्तरण करने का कानूनी अधिकार हैं तथा एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन पाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व नजरी नक्शा पेश कर निवेदन हैं कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त सयुंक्त अविभाजित सहखातेदारी आराजी के कानूनन बंटवाड़े बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है। सभी सहखातेदार मौके पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते है तथा मेड़बन्दी को तोड़फोड़ करते है। अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त आराजी किसी अन्य अजनबी क्रेता को अन्तरण आदि कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 5 से 10 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि सभी सहखातेदार मौके पर मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है। जिनके मध्य कोई सीमा विवाद नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम फालका की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार उभयपक्ष अभिलिखित सहखातेदार है, अतः अपने हक हिस्से तक प्रत्येक हिस्सेदार के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित माना जाता है। अतः यह बिन्दु उभयपक्ष के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के पक्ष में निर्णित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है, जिसमें अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक हिस्सेदार के पक्ष में निहित होता है। चुंकि वादग्रस्त आराजी के कानूनन बंट्वाड़े बाबत् वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है तथा कानूनन बंटवाड़ा किये बिना वादग्रस्त आराजी का किसी अजनबी पक्ष को हस्तान्तरण कि दशा में प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना सभाविक है। जिससे अपने हक हिस्से तक प्रत्येक हिस्सेदार को अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। अतः उक्त दोनों बिन्दु उभयपक्ष के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए उभयपक्ष को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का वर्तमान भू अभिलेख में परिवर्तन नही करने तथा वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद सरहद मौजा फालका पटवार हल्का फालका भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ.कालू, तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 21–01 बीघा किस्म सेवज दोयम के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 28/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)